रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल, 19, 1985/चैत्र 29, 1907
No. 178] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 19, 1985/CHAITRA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 372 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 5) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् *कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (ख) में, उप-खंड (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(11) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, वित्तीय संस्थाओं के अनुबंधों के अनुसरण में, अप्रतिभूत उधारों के रूप में, संप्रवर्तकों द्वारा दी गई कोई रकम, अर्थात् :—

(क) उधार, ऐसे वित्त में अभिदाय करने की संप्रवर्तकों की बाध्यता को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभिरोपित अनुबंध के अनुसरण में दिए जाते हैं ;

(ख) उधार स्वयं संप्रवर्तकों और/या उनके नातेदारों द्वारा (नाकि उनके मित्रों तथा कारबार सहयोगियों द्वारा) उपलब्ध कराए जाते हैं ; और

(ग) उप खंड के अधीन छूट, केवल वित्तीय संस्थाओं के उधारों का प्रतिसंदाय होने तक उपलब्ध होगी और उसके पश्चात् नहीं।

स्पष्टीकरण :—इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए "वित्तीय संस्था" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 क में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था ;

(ख) कोई राज्य वित्तीय, औद्योगिक या विनिधान निगम ;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा-परिभाषित कोई समुषंगी बैंक ;

(घ) कोई राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात् :—

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) ; या

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40);

की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई तत्स्थानी नया बैंक ।

(ङ) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम ;

(च) भारतीय औद्योगिक पुर्नस्थापन निगम ; या

(छ) कोई अन्य संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।;"

(2) निक्षेपों की विवरणी के विद्यमान प्ररुप के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररुप

[कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 का नियम 10 देखें]

रजिस्ट्रीकरण सं. .....

कंपनी कोड .....

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भरा जाए)

जोन किस्म

1	2

वित्तीय कंपनियों से भिन्न गैर बैंककारी कंपनियों में 31 मार्च 19-- को यथा विद्यमान निक्षेपों की विवरणी

(कृपया अनुदेश सं. 1 देखें)

1. कंपनी का नाम .....

2. पूरा पता

(1) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....

पिन कोड | | | | | | |

(2) *प्रधान/प्रशासनिक कार्यालय .....

पिन कोड | | | | | | |

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

3. क्या सरकारी कंपनी है हां—————नहीं—————

4. @राज्य जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है—————

5. प्रास्थिति पब्लिक लि. कंपनी/प्राइवेट लि. कंपनी/—————
पब्लिक लि. कंपनी समझी गई—————

6. लेखाओं के बंद करने की तारीख—————

7. मुख्य कारबार (कृषि/रोपण/विनिर्माण/व्यापार/नौवहन और—————
अन्य परिवहन/होटल/कोई अन्य)—————
कृपया विनिर्दिष्ट करें।—————

8. उद्योग का प्रकार (सूती वस्त्र, चीनी इंजीनियरी, आदि)
(कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम और पते.........

*यदि यह रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न कोई अन्य स्थान

जो लागू हो उस पर √ का चिन्ह लगा दें।

जो लागू न हों उसे काट दें।

राज्य का नाम, उसके लिए दिए गए स्थान में प्रविष्टि करें।

टिप्पण :

1. (क) प्रत्येक कंपनी जिसको ये नियम लागू हैं, प्रत्येक वर्ष 30 जून को या उससे पूर्व, कंपनी रजिस्ट्रार को, इन नियमो से उपाबद्ध प्ररुप में, एक विवरणी उसमें उस वर्ष के 31 मार्च तक की जानकारी देते हुए फाइल करेगा (जो कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होगी) ।

(ख) विवरणी पूरी करके कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल की जानी चाहिए और उसकी एक प्रति संयुक्त मुख्य अधिकारी, वित्तीय कंपनी विभाग (केन्द्रीय कार्यालय प्रकोष्ठ) भारतीय रिजर्व बैंक, सोलहवीं मंजिल, सी ओ बी, एस बी रोड, मुम्बई 4000 23 को भेजी जानी चाहिए।

2. विवरणी के प्रस्तुत करने में, वार्षिक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देने/पूरा करने जैसे किसी कारण से विलंब नहीं होना चाहिए विवरणी कंपनी की लेखा बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पूरी की जानी चाहिए ।

3. लेखाओं के संख्यांक वास्तविक अंकों में दिए जाने चाहिए और निक्षेपों की राशि हजार रुपये में दी जानी चाहिए । रकम हजार के निकटतम पूर्णांकों में होनी चाहिए, उदाहरण के लिए, 4560 रु. की रकम 5 के रूप, में दर्शाई जानी चाहिए न कि 4.6 या 5,000। इसी प्रकार 61,495 रुपए की रकम 61 के रूप में दर्शाई जानी चाहिए न कि 61.4 या 61,000/ के रूप में।

4. निक्षेपों का अवधिवार वर्गीकरण, उन अवधियों के अनुसार जिनके लिए वे मूलत : प्राप्त/नवीकृत किए गए थे न कि उस अवधि के अनुसार जिसके लिए वे, 31 मार्च, अर्थात् विवरणी की तारीख से जारी रहेंगे, विवरणी के भाग 1 की मद सं. 2 (क) और 4 (क) के अधीन विभिन्न शीर्षों के सामने दिया जाना चाहिए ।

5. यदि विवरणी के किसी भाग में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है तो वहां "शून्य" आंकित किया जाना चाहिए और विवरण से उपाबद्ध, प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत पद/धारियों का प्रमाण पत्र सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

भाग– 1

निक्षेपों आदि की विशिष्टियां

मद सं.	विशिष्टियां	मद कोड	लेखाओं की संख्यांक	रकम (हजार में) रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नियमों के नियम 3 (2) (i) में निर्दिष्ट किस्म के निक्षेप			
	(1) पूर्व वर्ष से अग्रेनीत निक्षेपों की रकम	101		
	(2) वर्ष के दौरान प्रतिगृहीत या नवीकृत निक्षेपों की रकम	102		
	(3) योग :	103		
	(4) वर्ष के दौरान प्रतिसंदत्त निक्षेपों की रकम	104		
	(5) वर्ष के अंत में बकाया निक्षेपों का अतिशेष	105		
	(क) अप्रतिभूत डिबेंचर	111		
	(ख) किसी लोक कंपनी द्वारा उसके शेयर धारकों से प्राप्त निक्षेप नीचे टिप्पण (1) देखें।	112		
	(ग) निक्षेप जिनमें निदेशकों द्वारा अपनी वैयक्तिक हैसियत में प्रत्याभूत किए गए अप्रतिभूत ऋण भी हैं	113		
	(घ) कूल योग :	110		
2.	ऊपर मद 1 (5) (घ) में के कुल निक्षेपों में से–			
	(क) (i) 6 मास से कम अवधि में मांग पर या सूचना पर या अन्यथा प्रति संदेय	121		
	(ii) 6 मास या उससे अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए	122		
	(iii) 1 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम अवधि के लिए	123		
	(iv) दो वर्ष या उससे अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम अवधि के लिए	124		
	(v) तीन वर्ष की अवधि के लिए	125		
	(vi) तीन वर्ष से अधिक के लिए	126		
	(vii) योग	120		
	(ख) (i) ब्याज मुक्त	131		
	(ii) 60 प्रतिशत से नीचे	132		
	(iii) 60 प्रतिशत या अधिक किन्तु 9 प्रतिशत से कम	133		
	(iv) 9 प्रतिशत या अधिक किन्तु 11 प्रतिशत से कम	134		

1	2	3	4	5
	(v) 11 प्रतिशत या अधिक किन्तु 13 प्रतिशत से कम	135		
	(vi) 13 प्रतिशत या अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम	136		
	(vii) 15 प्रतिशत पर	137		
	(viii) 15 प्रतिशत से अधिक	138		
	(ix) योग	130		
(ग)	(i) जो परिपक्व हो गए है किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है	141		
	(ii) जो परिपक्व हो गए हैं और जिनका दावा किया गया है किन्तु संदाय नहीं किया गया है	142		
3. नियमों के नियम 3(2) (ii) में निर्दिष्ट किस्म के निक्षेप :				
	(i) पूर्व वर्ष से अग्रनीत निक्षेपों की रकम	151		
	(ii) वर्ष के दौरान प्रतिगृहीत या स्वीकृत निक्षेपों की रकम	152		
	(iii) योग	153		
	(iv) वर्ष के दौरान प्रतिसंदत्त निक्षेपों की रकम	154		
	(v) वर्ष के अंत में बकाया निक्षपों का अतिशेष	155		
	(क) सावधि निक्षेप	161		
	(ख) कोई अन्य निक्षेप	112		
	(ग) योग	160		
4. ऊपर मद 3(v) ग में के कुल निक्षेपों में से :				
(क)	(i) 6 मास से कम अवधि में मांग पर या सूचना पर अन्यथा प्रतिसंदेय	171		
	(ii) 6 मास या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिए	172		
	(iii) 1 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम अवधि के लिए	173		
	(iv) दो वर्ष या उससे अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए	174		
	(v) 3 वर्ष की अवधि के लिए	175		
	(vi) 3 वर्ष से अधिक के लिए	176		
	(vii) योग	170		
(ख)	(i) ब्याज मुक्त	181		
	(ii) 60 प्रतिशत से नीचे	182		
	(iii) 60 प्रतिशत या अधिक किन्तु 9 प्रतिशत से कम	183		
	(iv) 9 प्रतिशत या अधिक किन्तु 11 प्रतिशत से कम	184		
	(v) 11 प्रतिशत या अधिक किन्तु 13 प्रतिशत से कम	185		

1	2	3	4	5
	(vi) 13 प्रतिशत या अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम	186		
	(vii) 15 प्रतिशत पर	187		
	(viii) 15 प्रतिशत से अधिक	188		
	(ix) योग	180		
	(ग) (i) जो परिपक्व हो गए हैं किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है	191		
	(ii) जो परिपक्व हो गए हैं और जिनका दावा किया गया है किन्तु जिनका संदाय नहीं किया गया है	192		

टिप्पण :—(1) निर्देश मद 1 (v) (ख), यदि कंपनी पब्लिक कंपनी है और इसके निदेशकों से भाग 3 के टिप्पण (1) में यथा विनिर्दिष्ट घोषणा प्राप्त नहीं की गई है तो ऐसे निक्षेपों को इस मद के सामने दर्शाया जाना चाहिए।

(2) निर्देश : मद 2 : मद 1(v) (घ), मद 2(क) (vii) और मद 2(ख) (ix) में की रकमें एक दूसरे से मेल खानी चाहिए ।

(3) निर्देश : मद 3 : (v) (ग), 4(क) (vii) और 4(ख) (ix), में की रकमें एक दूसरे से मेल खानी चाहिए।

(4) निर्देश : मद 3(v) (ख) : यदि कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है और भाग 3 के टिप्पण (1) में यथाविनिर्दिष्ट घोषणा प्राप्त नहीं की गई है तो ये निक्षेप इस मद के सामने दर्शाए जाने चाहिए।

(5) भाग 3 में दर्शायी गई रकमें भाग 1 में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए ।

भाग 2

अनिरूद्ध आस्तियों की विशिष्टियां (नियम 3क)

मद सं.	विशिष्टियां	मद कोड	रकम (हजार रुपयों में)	विनिधान निक्षेप की तारीख
1	2	3	4	5
1.	(क) आगामी 31 मार्च के पहले परिपक्व होने वाले निक्षेपों की रकम	210		
	(ख) उपरोक्त का दस प्रतिशत	220		
	(ग) अनिरूद्ध आस्तियों की विशिष्टियां	230		
	(1) किसी अनुसूचित बैंक में चालू या अन्य निक्षेप....खातों में रकमें जो भार या धारणाधिकार मुक्त हैं	231		
	(2) केन्द्रीय/राज्य सरकार की बिल्लगम रहित प्रतिभूतियां			
	(i) अंकित मूल्य	241		
	(ii) बाजार मूल्य	242		
	(3) बिल्लंगमरहित न्यास प्रतिभूतियां			
	(i) अंकित मूल्य	251		
	(ii) बाजार मूल्य	252		
	(4) योग [1+2(ii)+3(ii)]	260		

2. निक्षेप आमंत्रित करने वाले विज्ञापन की विशिष्टियां/बदले में विवरण
(नियम–4/4क)

(क) जनता से निक्षेप आमंत्रित करने वाले विज्ञापन की विशिष्टियां/विज्ञापन के बदले में विवरण, की तारीख

(ख) पूर्व के विज्ञापन/विज्ञापन के बदले में विवरण के चालू रहने की अवधि

भाग–3

ऐसे छूट प्राप्त उधारों, आदि की जिन्हें निक्षेप नहीं माना गया है, विशिष्टियां
[नियम 2(ख)(1) से 2(ख)(x)]

मद सं.	विशिष्टियां	मद कोड	लेखाओं की संख्या	रकम (हजार रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार(रों) से प्राप्त धन या अन्य से प्राप्त धन जिसके प्रतिसंदाय की गारंटी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई या स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त धन। [नियम 2(ख) (i)]	301		
2.	किसी विदेशी सरकार या अन्य विदेशी नागरिक प्राधिकारी या व्यक्ति से प्राप्त धन (नीचे का टिप्पण भी देखें)। [नियम 2(ख) (i)]	302		
	(क) विदेशी सरकार	303		
	(ख) विदेशी नागरिक प्राधिकारी या व्यक्ति	304		
3.	बैंकों और अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं से उधार/नियम 2(ख) (ii) और (iii)	305		
4.	किसी अन्य कंपनी से प्राप्त धन/नियम 2(ख)(iv)	306		
5.	निदेशकों से प्राप्त धन नीचे टिप्पण 1 देखें [नियम 2(ख) (ix)]	307		
6.	किसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त धन [नीचे टिप्पण (1) और (2) देखें] [नियम 2(ख)(ix)]	308		
7.	कम्पनी के कर्मचारियों से प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्राप्त धन [नियम 2(ख) (v)]	309		
8.	कंपनी के कार-बार के अनुक्रम में किसी क्रय अभिकर्ता, विक्रय अभिकर्ता या अन्य अभिकर्ताओं से प्रतिभूति या अग्रिम के रूप में प्राप्त धन या माल या सम्पत्ति के प्रदाय के लिए या सेवाओं के लिए आदेशों के मद्दे प्राप्त कोई अग्रिम। [नियम 2(ख) (vi)]	310		
9.	स्थावर सम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूति डिबैंचरों या संपरिवर्तनीय डिबैंचरों के जारी करने से प्राप्त धन। [नियम 2(ख)(x)]	311		

1	2	3	4	5
10.	किसी शेयर या प्रतिभूत डिबेंचरों में अंश-दान के रूप में तब तक के लिए प्राप्त धन जब तक उनका आबंटन नहीं हो जाता या कंपनी के संगम-अनुच्छेदों के अनुसार शेयरों पर अग्रिम में मांग के रूप में उस अवधि तक के लिए जब तक कि ऐसी रकम कंपनी के संगम-अनुच्छेदों के अधीन शेयर धारकों को प्रतिसंदेय नहीं हो, प्राप्त धन। [नियम 2(ख) (vii)]	312		
11	न्यास के रूप में प्राप्त धन या अभिवहन गत धन। [नियम 2(ख)(viii)]	313		
12.	योग (1 से 11)	320		

टिप्पण : (1) केवल ऐसे व्यक्तियों से, इस आशय की लिखित घोषणा के आधार पर प्राप्त धन मात्रा, कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा दिया गया धन ऐसा नहीं है जो उसके/उनके द्वारा उधार लेकर या किसी अन्य व्यक्ति से निक्षेप ग्रहण करके अर्जित की गई निधि में से दिया गया है, इन मदों के सामने दर्शाया जाना चाहिए। अन्यथा, इन्हें भाग 1 की मद सं. 1 से 4 के सामने दर्शाया जाना चाहिए जैसा कि भाग 1 की मद 1 से 4 में उपदर्शित किया गया है।

(2) किसी प्राइवेट कंपनी के, जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 43 क के अधीन पब्लिक कम्पनी समझा जाता है शेयर धारकों से प्राप्त धन को भी, उपरोक्त टिप्पण (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्राप्त करने के अधीन रहते हुए इस मद में सम्मिलित करना चाहिए।

प्रबन्धक का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :—(i) विवरणी की एक प्रति, संयुक्त मुख्य अधिकारी, वित्तीय कंपनी (केन्द्रीय कार्यालय प्रकोष्ठ) भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई-400023 को भेज दी गयी है/भेजी जा रही है।

(ii) भाग 1, 2 और 3 के अधीन निक्षेपों, अनिरूद्ध आस्तियों और ब्याज सम्बन्धी आंकड़ों को सत्यापित कर लिया गया है और यह पाया गया है कि वे सही तैयार किए गए हैं।

(iii) समादत्त पूंजी और मुक्त आरक्षितियों, आदि का कुल योग, जैसा वह नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण में उपदर्शित रीति से निकाला गया है, निम्न प्रकार है :—

मद सं०	विशिष्टियां	मद कोड	रकम	हजार रुपयों में
1	2	3	4	5
1.	शुद्ध स्वामीत्वाधीन निधि (आंकड़ें ..... का विद्यमान विवरणी तुलनपत्र जो तारीख ..... को लेखापरीक्षित और तारीख ..... को स्वीकार किया गया है, कि तारीख से पूर्वगामी अंतिम लेखा परिक्षित तुलनपत्र के अनुसार प्रस्तुत किए जाएं)			
	1. समादत्त पूंजी	331		
	2. मुक्त आरक्षितियां	332		
	योग : (1 + 2)	333		

1	2	3	4	5
2.	(i) हानि का संचित अतिशेष	341		
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय का अतिशेष	342		
	(iii) संचित अनुपबन्धित अवक्षयण	343		
	(iv) प्रकीर्ण व्यय और आरंभिक व्यय	344		
	(v) अन्य अमूर्त आस्तियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	345		
	योग : (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v)	340		
3.	शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि (1—2)	350		
4.	नियमों के नियम 3(2)(1) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप [देखें विवरणी के भाग 1 की मद 1(v) (घ)]	360		
	(समादत्त पूंजी और मुक्त आरक्षितियों का %)			
5.	नियमों के नियम 3(2)(ii) में निर्दिष्ट प्रकार के [देखें विवरणी के भाग 1 की मद 3(v)] (संमादत्त पूंजी और मुक्त आरक्षितियों का %)			

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

तारीख .....

लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र (संलग्न किया जाए)"।

[सं. 4/1/83-सी एल X]

4/3/84-सी० एल० X]

आर. डी. मखीजा, अवर सचिव

*टिप्पण : कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975.....प्रकाशित देखें अधिसूचना सं० सा. का. नि. 43 (असाधारण) तारीख 3-2-1977 जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) तारीख 3-2-1977 में प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात् जिसका संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया :—

(i) का. आ. 524(अ) तारीख 18-9-1975

(ii) का. आ. 684(अ) तारीख 29-11-1975

(iii) सा. का. नि. 427(अ) तारीख 29-6-1976

(iv) सा. का. नि. 820(अ) तारीख 24-9-1976

(v) सा. का. नि. 965(अ) तारीख 29-12-1976

(vi) सा. का. नि. 385(अ) तारीख 17-6-1977

(vii) सा. का. नि. 386(अ) तारीख 17-6-1977

(viii) सा. का. नि. 424(अ) तारीख 27-6-1977

(ix) सा. का. नि. 793(अ) तारीख 30-12-1977

(x) सा. का. नि. 200(अ) तारीख 30-3-1978

(xi) सा. का. नि. 252(अ) तारीख 27-4-1978

(xii) सा. का. नि. 341(अ) तारीख 29-6-1978

(xiii) सा. का. नि. 378(अ) तारीख 17-7-1978

(xiv) सा. का. नि. 586(अ) तारीख 21-12-1978

(xv) सा. का. नि. 109(अ) तारीख 21-3-1980

(xvi) सा. का. नि. 185(अ) तारीख 1-4-1980

(xvii) सा. का. नि. 380(अ) तारीख 24-6-1980

(xviii) सा. का. नि. 435(अ) तारीख 18-7-1980

(xix) सा. का. नि. 546(अ) तारीख 24-9-1980

(xx) सा. का. नि. 187(अ) तारीख 20-3-1981

(xxi) सा. का. नि. 44(अ) तारीख 12-1-1982

(xxii) सा. का. नि. 286(अ) तारीख 19-3-1985

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 19th April, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by section 58A, read with section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules, further to amend the *Companies (Acceptance of Deposits) Rules , 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Second Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (i) In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 in clause (n) of Rule, 2 after sub-clause (x), the following su-bclause shall be inserted, namely:—

"(xi) any amount brought in by the promoters by way of unsecured loans in pursuance of stipulations of financial institutions subject to the fulfilment of the following conditions namely:—

(a) the loans are brought in pursuance of the stipulation imposed by the financial institutions in fulfilment of the obligation of the promoters to contribute such finance;

(b) the loans are provided by the promoters themselves and/or by their relatives, not from their friends and business associates; and

(c) the exemption under this sub-clause shall be available only till the loans of financial institutions are repaid and not thereafter.

Explanation : For the purpose of this su-bclause the term 'financial institution' shall mean:—

(a) a public financial institution specified in or under section 4A of the Companies Act, 1956;

(b) a State Financial, Industrial or Investment Corporation;

(c) the State Bank of India or a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(d) a nationalised bank, that is to say, a corresponding new bank as defined in section 2 of:—

(i) the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970); or

(ii) the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);

(e) the General Insurance Corporation of India established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972);

(f) the Industrial Reconstruction Corporation of India; or

(g) any other Institution which the Central Government, may, by notification, specify in this behalf"

(ii) for the existing Form of Return of Deposits, the following Form shall be substituted, namely:—

FORM

[See Rule 10 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.]

Registration No. —......................
Company Code
(To be filled by RBI)

Return of deposits with non-banking Companies, other than financial Companies as on 31st March,———

ZONE	TYPE
1	2

(Please see Instruction No. 1)

For Office use only

1. Name of the Company————————

2. Full address of:

(i) Registered office ————————

Pin Code

(ii) *Head/Administrative Office————————

Pin Code

3. Whether a Government Company £ Yes———— No————

4. @State in which the company is having its Registered Office ————————

5. Status : Public Ltd. Company/Private Ltd. Company/ Deemed Public Ltd. Company.† ————————

6. Date of closing of the accounts ————————

7. Main Business : (Agriculture/Plantation/Manufacturing/ Trading/Shipping and other transport/Hotels/Any others) (Please specify) ————————

8. Type of industry : (Cotton Textiles, Sugar, Engineering etc). _____

(Please specify)

9. Name(s) of the Company's auditors and address(es) _____

*If it is place other than the registered office.

£Tick the box which is applicable

†Strike off the categories not applicable.

@Enter the name of the state in the space priovided therefor.

Note :—

1. (a) Every company to which these rules apply, shall on or before the 30th day of June, of every year, file with the Registrar of Companies, a return in the form annexed to these rules and furnishing the information contained therein as on the 31st day of March of that year (duly certified by the auditors of the company).

(b) The return, after completion, should be filed with the Registrar of Companies with a copy to the Joint Chief Officer, Department of Financial Companies (Central Office Cell), Reserve Bank of India, 16th Floor, NCOB, S.B. Road, Bombay-400023.

2. The submission of the return should not be delayed for any reason such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The return should be completed on the basis of the figures available in the books of accounts of the company.

3. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts of deposits should be given in thousands of rupees. Amount should be rounded off to the nearest thousands, for example, an amount of Rs. 4,560 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5,000/-. Similarly an amount of Rs. 61,495 is to be shown as 61 and not 61.4 or 61,000/-.

4. The periodwise classification of deposits should be made against the various heads under item No. 2(a) and 4(a) of Part I of the return according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the period they have to run as from the 31st March i.e. the date of the return.

5. In case there is nothing to report in any part of the return, it should be marked 'Nil' and the Manager's/ Managing Director's/Authorised offiicial's Certificate appended to the return should be duly signed.

PART-1

Particulars of Deposits, etc.

Item No.	Particulars	Item code	No. of accounts	Amount (in thousands Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deposits of the kind referred to in Rule 3(2)(i) of the Rules:			
	(i) Amount of deposits brought forward from the previous years	101		
	(ii) Amount of deposit accepted or renewed during the year	102		
	(iii) Total:	103		
	(iv) Amount of deposits repaid during the year	104		
	(v) Balance of deposits outstanding at the end of the year:—	105		
	(a) Unsecured debentures	111		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(b) Deposits received by a public Company from its shareholders (vide note (1) below)	112		
	(c) Deposits including unsecured loans guaranteed by directors in their personal capacity	113		
	(d) Total	110		
2. Of the total deposits at item 1(v) (b) above those				
(a)	(i) Repayable on demand or notice or otherwise in less than 6 months	121		
	(ii) For a period of 6 months or more but less than 1 year	122		
	(iii) For a period of 1 year or more but less than 2 years	123		
	(iv) For a period of 2 years or more but less than 3 years	124		
	(v) For a period of 3 years	125		
	(vi) More than 3 years	126		
	(vii) Total	120		
(b)	(i) Free of interest	131		
	(ii) Below 6%	132		
	(iii) 6% or more but less than 9%	133		
	(iv) 9% or more but less than 11%	134		
	(v) 11% or more but less than 13%	135		
	(vi) 13% or more but less than 15%	136		
	(vii) At 15%	137		
	(viii) More than 15%	138		
	(ix) Total	130		
(c)	(i) Those which have matured but not claimed	141		
	(ii) Those which have matured and claimed but not paid	142		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Deposits of the kind referred to in Rule 3(2) (ii) of the Rules:			
	(i) Amount of deposits brought forward from the previous year	151		
	(ii) Amount of deposits accepted or renewed during the year	152		
	(iii) Total	153		
	(iv) Amount of deposits repaid during the year	154		
	(v) Balance of deposits outstanding at the end of the year	155		
	(a) Fixed deposits	161		
	(b) Any other deposits	162		
	(c) Total:	160		
4.	Of the total deposits at item 3(v) (c) above those:			
(a)	(i) Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months	171		
	(ii) For a period 6 months or more but less than 1 year	172		
	(iii) For a period of 1 year or more but less than 2 years	173		
	(iv) For a period of 2 years or more but less than 3 years	174		
	(v) For a period of 3 years	175		
	(vi) For more than 3 years	176		
	(vii) Total	170		
(b)	(i) Free of interest	181		
	(ii) Below 6%	182		
	(iii) 6% or more but less than 9%	183		
	(iv) 9% or more but less than 11%	184		
	(v) 11% or more but less than 13%	185		
	(vi) 13% or more but less than 15%	186		
	(vii) At 15%	187		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(viii) More than 15%	188		
	(ix) Total :	180		
(c)	(i) Those which have matured but not claimed	191		
	(ii) Those which have matured and claimed but not paid	192		

Notes : (1) Ref : Item 1(v) (b). If the company is a public company and a declaration as specified in note (1) of Part 3 has not been obtained from its directors such deposits should be shown against this item.

(2) Ref : Item 2 : Amount at item 1(v) (d), Item 2(a) (vii) and Item 2(b) (ix) should tally with each other

(3) Ref : Item 3 : Amount at item 3(v) (c), 4(a) (vii) and 4(b) (ix) should tally with each other.

(4) Ref : Item 3(v)(b) : If the company is a private company and a declaratoin as specified in Note (1) of the Part 3 has not been obtained such deposits should be shown against this item.

(5) The amounts shown in Part 3 should not be included in Part 1.

PART 2

Particulars of Liquid Assets (Rule 3A)

Item No.	Particulars	Item code	Amount in thousands of rupees	Date of investment/Deposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. (a)	Amount of deposits maturing before 31st March next.	210		
(b)	Ten per cent of the above	220		
(c)	Details of liquid assets	230		
	(1) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank	231		
	(2) Unencumbered securities of Central/State Government:			
	(i) Face Value	241		
	(ii) Market Value	242		
	(3) Unencumbered Trust Securities :			
	(i) Face Value	251		
	(ii) Market value	252		
	(4) Total [1+2(ii)+3(ii)]	260		

2. Particulars of advertisement inviting deposits/statement in lieu of advertisement
(Rule 4/4A)

(a) Date of the publication of the advertisement inviting deposits from the public/statement in lieu of advertisement

(b) Period of currency of the previous advertisement/statement in lieu of advertisement

PART 3

Particulars of exempted borrowing etc., not considered as deposits [Rule 2(b) (i) to 2(b) (x)]

Item No.	Particulars	Item code	No. of accounts	Amounts (in thousands of rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	5)
1.	Money received from the Central or State Government(s) or money received from others the repayment of which is guaranteed by the Central or a State Government or money received from a local authority. [Rule 2(b)(i)]	301		
2.	Money received from a foreign Govt. or any other foreign citizen, authority or persons (see also note 3 below) [Rule 2(b)(i)]	302		
	(a) Foreign Government	303		
	(b) Foreign citizen authority or persons	304		
3.	Borrowings from banks and other specified financial institutions [Rule 2(b) (ii) & (iii)]	305		
4.	Money received from any other company [Rule 2(b)(iv)]	306		
5.	Money received from directors (see note 1 below) [Rule 2(b)(ix)]	307		
6.	Money received by a private company from the shareholders (vide notes (1) and (2) below) [Rule 2(b)(ix)]	308		
7.	Money received from employees of the company by way of security deposits [Rule 2(b)(v)]	309		
8.	Money received by way of security or advance from purchasing, selling or other agents in the course of company's business or advance received against orders for supply of goods or properties or for rendering of services [Rule 2(b)(vi)]	310		
9.	Money received by issue of debentures secured by mortgage of immovable properties or convertible debentures. [Rule 2(b)(x)]	311		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Money received by way of subscription to any share or secured debentures pending allotment or money received by way of——calls in advance on shares in accordance with the Articles of Association of the company so long as such amounts is not repayable to shareholders under the Articles of Association of the company. [Rule 2(b)(vii)]	312		
11.	Money received in trust or money, in transit [Rule 2(b)(viii)]	313		
12.	Total (1 to 11)	320		

Note : (1) Only money received from such persons on a declaration in writing that the money has not been given by such persons out of funds acquired by him/them by borrowing or accepting deposits from another person should be shown against these items. Otherwise, it should be shown against item Nos. 1 or 4 of Part-1 as the case may be, as indicated in Notes (1) and (4) of Part 1.

(2) Money received from the shareholders of a private company deemed as a public company under section 43A of the Companies Act, 1956 should also be included under this item subject to the obtaining of declaration referred to in Note (1) above.

Manager's Certificate

Certified :— (i) that a copy of this Return has been sent/is being sent to the Joint Chief Officer, Department of Financial Companies (Central Office Cell) Reserve Bank of India, Bombay-400023.

(ii) that the figures of deposits, liquid assets and interest rates under Parts 1, 2 and 3 have verified and found to have been correctly prepared.

(iii) that the aggregate of the paid up capital and free reserves, etc., as arrived at on the lines indicated in Explanation to Rule 3 of the Rules are as follows:—

Item No.	Particulars	Item code	Amount (in thousand of rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Net owned funds (figures to be furnished as per the latest audited balance sheet preceding the date of the return-Balance sheet as on audited on and adopted on——		
	(i) Paid up capital	331	
	(ii) Free Reserves	332	
	Total (I+II)	333	
2.	(i) Accumulated balance of loss	341	
	(ii) Balance of deferred revenue expenditure	342	
	(iii) Accumulated unprovided depreciation	343	
	(iv) Miscellaneous expenses and preliminary expenses	344	
	(v) Other intangible assets (please specify)	345	
	Total : (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	340	
3.	Net owned funds (1—2)	350	

4. Deposits of the kinds referred to in Rule 3(2)(i) of the Rules (vide item 1(v). (d) of Part-I of the return) (% of paid up capital and free reserves)	360
5. Deposits of the kinds referred to in Rule 3(2)(ii) of the Rules (vide item 3(v) (c) of part I of the return) (% of paid up capital and free reserves)	

Signature of Authorised Official ——————

Name ——————

Date— —————— Designation ——————

Auditors Certificate (to be attached)

[No. 4/1/83-CL. X —————— 4/3/84-CL. X]

R.D. MAKHEEJA, Under Secy.

*Note : The Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 published vide Notification No. G.S.R. 43(E) dated 3-2-1977 Part-II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India (Extra Ordinary) dated 3-2-1977 Subsequently amended by Notification No. :

(i) S.O. 524(E) dated 18-9-1975
(ii) S.O. 684(E) dated 29-11-1975
(iii) G.S.R. 427(E) dated 26-9-1976
(iv) G.S.R. 820(E) dated 24-9-1976
(v) G.S.R. 965(E) dated 29-12-1976
(vi) G.S.R. 385(E) dated 17-6-1977
(vii) G.S.R. 386(E) dated 17-6-1977
(viii) G.S.R. 424(E) dated 27-6-1977
(ix) G.S.R. 793(E) dated 30-12-1977
(x) G.S.R. 200(E) dated 30-3-1978
(xi) G.S.R. 252(E) dated 27-4-1978
(xii) G.S.R. 341(E) dated 29-6-1978
(xiii) G.S.R. 378(E) dated 17-7-1978
(xiv) G.S.R. 586(E) dated 21-12-1978
(xv) G.S.R. 109(E) dated 21-3-1980
(xvi) G.S.R. 185(E) dated 1-4-1980
(xvii) G.S.R. 380(E) dated 24-6-1980
(xviii) G.S.R. 435(E) dated 18-7-1980
(xix) G.S.R. 546(E) dated 24-9-1980
(xx) G.S.R. 187(E) dated 20-3-1981
(xxi) G.S.R. 44(E) dated 12-1-1982
(xxii) G.S.R. 286(E) dated 19-3-1985

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985